GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय
(RAILWAY BOARD) रेलवे बोर्ड

No. PC-VI/ 311
No. PC-V/2010/A/Med./1

RBE No. 05/2013.
New Delhi, dated 22-01-2013.

The General Manager
All Indian Railways & Pus
(As per mailing list)

Office of the General Manager (E) आवक KR-2833 25 JAN 2013 North Western Railway, Jaipur उत्तर-पश्चिम रेलवे, जयपुर

Sub:- Fixed Medical Allowance to railway beneficiaries of New Pension Scheme drawing additional relief on death /disability of railway servant.

The Fixed Medical Allowance (FMA) is granted to Railway pensioners/family pensioners in terms of instructions contained in Board's letter dated 21-4-99, 1-3-2004 and subsequent clarifications issued from time to time.

Grant of FMA to the railway beneficiaries of NPS drawing additional relief on death /disability of railway servant in terms of Board's letter No. 2008/AC-II/21/19 dated 29-5-2009 has been examined in consultation with Department of Pension and Pensioners' Welfare. Since in terms of para 602 of IRMM-2000, railway employees are entitled for medical attendance and treatment facilities, free of charge, the NPS railway pensioners **drawing additional relief on death/disability of Railway servant in terms of Board's letter dated 29-5-2009** and staying beyond 2.5 KMs from the nearest Railway Hospital/Health unit can get a RELHS card by paying necessary amount to enable them to obtain indoor treatment. They are also entitled to draw FMA as fixed by the Government. The necessary amount for getting RELHS Card as prescribed in Board's letter No. 2003/H/28/1/RELHS dt. 16.3.2009 are as under:-

(i)	The employees who have already retired.	A sum equivalent to double the amount of revised basic pension after the implementation of VIth CPC.
(ii)	Family pensioners	A sum equivalent to double the amount of revised family pension after the implementation of VIth CPC.

2 **As and when the Health Insurance is introduced in Railways, the New Pension Scheme railway pensioners would be shifted to the Health Insurance Scheme.**

3. These orders are issued with the concurrence by Health and Finance Directorates of the Ministry of Railways.

4. Hindi Version is enclosed.

महाप्रबन्धक, उत्तर-पश्चिम 1087 24 JAN 2013

(N.P. Singh)

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्र.सं. पीसी-VI/311
सं. पीसी-V/2010/ए/मेडि./1

आरबीई सं. 05/2013
नई दिल्ली, 22.01.2013

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां.
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: रेल कर्मचारी की मृत्यु/अशक्तता होने पर अतिरिक्त राहत पाने वाले नई पेंशन योजना के रेलवे लाभार्थियों के लिए नियत चिकित्सा भत्ता।

बोर्ड के दिनांक 21.04.1999, 01.03.2004 में अंतर्विष्ट अनुदेशों और बाद में समय-समय पर जारी किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार रेलवे पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को नियत चिकित्सा भत्ता (एफएमए) प्रदान किया जाता है।

बोर्ड के दिनांक 29.05.2009 के पत्र सं.2008/एसी-II/21/19 के अनुसार रेल कर्मचारी की मृत्यु/अशक्तता होने पर अतिरिक्त राहत पाने वाले नई पेंशन योजना के रेलवे लाभार्थियों को नियत चिकित्सा भत्ता प्रदान करने के बारे में पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के परामर्श से जांच की गई है। चूंकि भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली-2000 के पैरा 602 के अनुसार रेल कर्मचारी निःशुल्क चिकित्सा सहायता और उपचार सुविधाओं के पात्र हैं अतः बोर्ड के **दिनांक 29.05.2009 के पत्र के अनुसार रेल कर्मचारी की मृत्यु/अशक्तता होने पर अतिरिक्त** राहत पाने वाले तथा नजदीकी रेलवे अस्पताल/स्वास्थ्य इकाई से 2.5 किमी. से दूर रहने वाले नई पेंशन योजना के रेलवे पेंशनर आवश्यक राशि का भुगतान करके आरईएलएचएस कार्ड प्राप्त कर सकते हैं ताकि वे अंतरंग उपचार प्राप्त कर सकें। वे सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार नियत चिकित्सा भत्ता पाने के भी पात्र हैं। बोर्ड के दिनांक 16.03.2009 के पत्र सं.2003/एच/28/1/आरईएलएचएस में यथा निर्धारित आरईएलएचएस कार्ड प्राप्त करने के लिए आवश्यक राशि निम्नानुसार है:-

(i)	वे कर्मचारी जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं।	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद संशोधित मूल पेंशन की दोगुनी राशि के बराबर राशि।
(ii)	परिवार पेंशनर	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद संशोधित परिवार पेंशन की दोगुनी राशि के बराबर राशि।

2. **रेलों में जब कभी स्वास्थ्य बीमा शुरू किया जाएगा तो नई पेंशन योजना के रेलवे पेंशनरों को स्वास्थ्य बीमा योजना में शिफ्ट किया जाएगा।**

3. ये आदेश रेल मंत्रालय के स्वास्थ्य एवं वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

(एन. पी. सिंह)
उप निदेशक/वेतन आयोग- V
रेलवे बोर्ड

PC VI 2012 Satvin